संख्या- 398 /2024/ 3628 /चार-2024-1874972

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांक 06 दिसम्बर, 2024**

विषय- बाबा साहेब परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक सुर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3413/सं0नि0-15 (87)/2024-25, दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासन द्वारा गठित आयोजित/ प्रायोजित समिति की दिनांक 03.12.2024 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में बाबा साहेब परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक सुर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन हेतु निम्नांकित व्यय विवरण के आधार पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है:-

क्र.	मद का नाम	अनुमानित धनराशि
1-	कलाकारों के मानदेय पर व्यय	11,60,000.00
2-	मंच निर्माण, साज-सज्जा एवं लाइट एण्ड साउण्ड सहित	25,00,000.00
3-	बैकड्राफ्ट, स्टैण्डी, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, बुकलेट आदि पर व्यय	5,00,000.00
4-	आवास एवं भोजन	5,00,000.00
5-	यातायात पर व्यय	5,00,000.00
6-	कार्यक्रम की अभिलेखीकरण, बैकस्टेज, मोमेन्टो, अंगवस्त्र इत्यादि पर व्यय	1,00,000.00
	कुल योग-	52,60,000.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को बाबा साहेब परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ**,** गोरखपुर आदि स्थलों पर सांस्कृतिक सुर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन हेतु उपलब्ध कराये गये रू0 52.60 लाख के अनुमानित व्यय के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत आयोजन हेतु रू0 44.60 लाख (रूपये चौवालीस लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा। आवास एवं भोजन मद तथा यातायात मद में प्रस्तावित धनराशि रू0 5.00- 5.00 लाख के स्थान पर रू0 1.00 - 1.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। उक्त मद में वास्तविक व्यय के आधार पर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं०-92 आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-25-उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव-2024-25 -42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधिनित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।